

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही।

5

विविध वाद संख्या 04/23-24

भुनेश्वर तिवारी वगै०-बनाम-अवधेश चन्द्र पाण्डेय

तारिख	:- आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-	अभियुक्ति
	यह अभिलेख अंचल अधिकारी, बरकट्टा के पत्रांक 124, दिनांक 01.02.2023 के आधार पर खोला गया है। इससे पूर्व इस कार्यालय में विविध वाद सं० 25/2011-12 अवधेश चन्द्र पाण्डेय-बनाम-भुनेश्वर तिवारी वगै० अंचल अधिकारी, बरकट्टा के पत्रांक 316, दिनांक 22.07.2011 के द्वारा खोला गया था। उपरोक्त दोनों वाद एक ही भूमि से संबंधित है। दानों पक्षों के सहमति से विविध वाद का किस्म एक समान होने के कारण अभिलेख संख्या 04/23-24 में परिवर्तित किया गया। अंचल अधिकारी, बरकट्टा के विविध वाद सं० 06/2021-22 के द्वारा प्रेषित किया गया है। आदेश फलक के अवलोकन से विदित होता है कि ग्राम बेलकप्पी, खाता सं० 76, प्लॉट सं० 2887, रकबा 58 डी० मधे रकबा 32 डी० से संबंधित है। दोनों पक्षों को कागजात दिखाने हेतु सूचना निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष श्री भुनेश्वर तिवारी वगै० के द्वारा लिखित जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया है कि ग्राम बेलकप्पी के खाता सं० 76, प्लॉट सं० 2887, रकबा 32 डी० श्री अवधेश चन्द्र पाण्डेय पिता स्व० महाबीर पाण्डेय साकिन गोसला थाना चौपारण के द्वारा मेरे पिताजी श्री कृष्ण देव तिवारी पिता स्व० शिबी तिवारी साकिन बेलकप्पी थाना बरकट्टा से अनाधिकृत रूप से क्रय किया है। उस समय हमलोग तथा हमारी बहन नाबालिक थी। श्री अवधेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा अनाधिकृत रूप से क्रय कर दाखिल खारिज करवाकर जमाबंदी कायम करवा लिया है तथा लगान रसीद निर्गत किया गया है। Hindu Succession Act की धारा 15 में निहित प्रावधान के आलोक में जमाबंदी रद्द करने हेतु अनुरोध किया है। उपरोक्त भूमि मेरी माँ सरस्वती देवी पति कृष्ण देव तिवारी के द्वारा टेको तिवारी वल्द तोखो तिवारी से क्रय किया था। उपरोक्त भूमि मेरी माँ के नाम से है, परन्तु मेरे पिताजी के द्वारा अनाधिकृत रूप से बिक्री कर दिया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया है कि ग्राम बेलकप्पी के खाता सं० 76, प्लॉट सं० 2887, रकबा 32 डी० भूमि के केवाला सं० 1523, दिनांक 10.02.1983 के	

4

द्वारा खरीद किया हूँ। अंचल अधिकारी, बरकट्टा के दाखिल खारिज वाद सं० 224/07-08, स्वीकृत होकर लगान रसीद निर्गत किया गया है। उपरोक्त भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से 40 वर्षों से दखलकार एवं कायम है। उक्त भूमि पर मकान एवं बारी बना हुआ है।

उपरोक्त भूमि में मेरे द्वारा ग्राम बेलकप्पी के खाता सं० 76, प्लॉट सं० 2887, रकबा 32 डी० मधे रकबा 06 डी० श्रीमती लोजनी देवी पति प्रयाग साव ग्राम बंडासिंघा के पास केवाला सं० 2224, दिनांक 21.09.2016 को बिक्री किया है। उपरोक्त केवाला में प्रथम पक्ष के बड़े भाई श्यामसुन्दर तिवारी पिता कृष्ण देव तिवारी गवाह है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के सभी हिस्सेदार एन०एच०-02 जीटी रोड चौडीकरण से सर्वे के क्रम में दिनांक 17.03.2011 को प्रथम पक्ष के बड़े भाई श्याम सुन्दर तिवारी, भुनेश्वर तिवारी एवं कमलदेव तिवारी तीनों पिता स्व० कृष्ण देव तिवारी ग्राम बेलकपी न एग्रीमेन्ट किया है कि जीटी रोड चौडीकरण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा लेने से संबंधित हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त भूमि कृष्ण देव तिवारी अपने कमाई से अपने पत्नी के नाम से अर्जित किये थे। उपरोक्त भूमि श्री कृष्णदेव तिवारी के खतियानी भूमि नहीं है।

अंचल अधिकारी, बरकट्टा ने अपने आदेशफलक में उल्लेख किया है कि राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 20.10.2021 को अंचल अधिकारी एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में स्थल जांच के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि मौजा बेलकपी खाता सं० 76, खेसरा सं० 2887, रकबा 32 डी० चौहदी उ०-प्रयाग नायक, प्लॉट सं० 2903, द०-जीटी रोड, पू०-सुरेन्द्र तिवारी वगै०, प०-उर्मिला देवी अवस्थित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि स्व० सरस्वती देवी पति स्व० कृष्णदेव तिवारी की खरीदगी वर्ष 1974 से उनके दखल में रहा है तथा उनके मरणोपरान्त उनके वंशज भुनेश्वर तिवारी वगै० का दखल में रहा है। दखल स्वरूप कुल 32 डी० भूमि पर कृषि कार्य हेतु उपयोग किया गया जा रहा था, पिछले लगभग 1.5 वर्षों से भूमि खाली परती है। उक्त भूमि में से कुल 06 डी० भूमि दो बार 02 डी० एवं 04 डी० एन०एच०-02 में भू-अर्जन कार्यालय, हजारीबाग द्वारा अर्जित किया गया, जिसका मुआवजा भी सरस्वती देवी के पुत्रों के द्वारा लिया गया है। साथ ही यह भी

प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष अवधेश चन्द्र पाण्डेय पिता स्व० महाबीर पाण्डेय के दखल में उनके खरीदगी वर्ष 1983 से भी दखल में नहीं रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि छोटानागपुर विकास उत्प्रेरण केन्द्र का कार्यालय एवं बालश्रमिक परियोजना विद्यालय उपरोक्त वर्णित भूमि से बाहर है।

उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कृष्ण देव तिवारी की पत्नी सरस्वती देवी के नाम से मौजा बेलकपी खाता सं० 76, खेसरा सं० 2887, रकबा 32 डी० भूमि केवाला से हासिल है तथा जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद भी निर्गत है, परन्तु पत्नी के नाम से क्रय भूमि को इनके पति कृष्ण देव तिवारी के द्वारा अवैध रूप से अवधेश चन्द्र पाण्डेय को भूमि बिक्री किया गया जो नियम से प्रतिकूल है। साथ ही अवधेश चन्द्र पाण्डेय का उक्त भूमि खरीदगी की तिथि से अब तक कभी दखल-कब्जा नहीं रहा है। उपरोक्त परिपेक्ष्य से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण के माँ सरस्वती देवी के नाम से भूमि हासिल है। वर्तमान में भूमि परती के रूप में है, जिसपर Hindu Succession Act की धारा 15 के प्रावधानुसार प्रथमतः सरस्वती देवी के पुत्र एवं पुत्रियों का अधिकार बनता है ऐसे में अन्य (पति) के द्वारा बिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, बरकट्टा के द्वारा प्रेषित किया गया विविध वाद सं० 06/21-22 भुनेश्वर तिवारी-बनाम-अवधेश चन्द्र पाण्डेय ग्राम बेलकपी थाना बरकट्टा तथा प्रथम पक्ष के द्वारा अपने पक्ष में लिखित बयान तथा प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित जवाब तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता के बहस एवं प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है:-

1. ग्राम बेलकपी के खाता सं० 76, प्लॉट नं० 2887, रकबा 32 डी० भूमि द्वितीय पक्ष के अवधेश चन्द्र पाण्डेय पिता स्व० महाबीर पाण्डेय ने श्री कृष्णदेव तिवारी पिता स्व० शिबी तिवारी ग्राम बेलकपी से खरीद किया है।
2. सरस्वती देवी पति कृष्णदेव तिवारी को बिक्री केवाला टेको तिवारी वल्द तोखो तिवारी से बिक्री केवाला सन् 1974 में प्राप्त है, जो प्रथम पक्ष की माँ एवं द्वितीय पक्ष अवधेश चन्द्र पाण्डेय की पत्नी की चाची

माँ है।

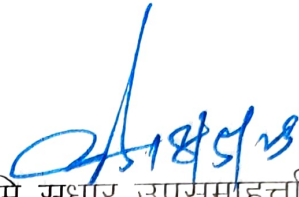
3. प्रथम पक्ष के द्वारा बहस के दौरान श्याम सुन्दर तिवारी दौपती देवी, भुनेश्वर तिवारी, गायत्री देवी, कमलदेव तिवारी एवं पुनम देवी का आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया है। 1. श्री श्याम सुन्दर तिवारी का जन्म वर्ष 1967 तथा 2. दौपती देवी का जन्म वर्ष 1963 3. भुनेश्वर तिवारी का जन्म वर्ष 1965 एवं 4. गायत्री देवी का जन्म वर्ष 1968 तथा 5. कमल देव तिवारी का जन्म वर्ष 1978, 6. पुनम देवी का जन्म वर्ष 1988 दिखाया गया है।
4. द्वितीय पक्ष के द्वारा पुनम देवी का जन्म वर्ष 1988 अर्थात् वर्तमान में 34 वर्ष बताया गया है, जो बिल्कुल गलत है, जबकि साक्ष्य के तौर पर पुनम देवी का मतदाता पहचान पत्र संख्या MWH9019522 में पुनम देवी पति किशोरी कान्त तिवारी ग्राम टेंगरा खुर्द, डुमरी का वर्तमान वर्ष 45 अंकित है।
5. द्वितीय पक्ष के द्वारा श्रीमती सरस्वती देवी की मृत्यु का प्रमाण पत्र दाखिल किया है। प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 27.06.1978 को संत कोलंबा मिशन हॉस्पिटल, हजारीबाग में ईलाज के दौरान मृत्यु हुआ है। प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्ष 1983 में ग्राम बेलकपी के खाता सं० 76, प्लॉट सं० 2887, रकबा 32 डी० भूमि खरीद की गई एवं कई वर्षों से जमाबंदी कायम है तथा लगान रसीद कटवाते चले आ रहे हैं, जो कि Long Term जमाबंदी है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह- सक्षम पदाधिकारी एन०एच०-02 हजारीबाग द्वारा भी NH-02 भू-अर्जन वाद सं० 55/12-13 द्वारा मुआवजा द्वितीय पक्ष अवधेश चन्द्र पाण्डेय को प्राप्त है। नंदलाल तिवारी पिता स्व० मनी तिवारी उम्र जो 62 वर्ष जो विक्रेता कृष्णदेव तिवारी के भाई का शपथ पत्र संख्या 412524 दिनांक 11.05.2023 में भी वर्णित है, जिसमें सरस्वती देवी का मृत्यु 1978 बताया है एवं सरस्वती देवी की मृत्यु के समय उनके बच्चे नबालिक थे। कृष्णदेव तिवारी कृषि कार्य करते थे एवं पारिवारिक दैनिक कार्यों से अवधेश पाण्डेय को जमीन बिक्री किये हैं, जिसमें वे गवाह के रूप में भी हैं। उपरोक्त के आधार पर Hindu Succession Act की धारा 15 के तहत

जमाबंदी खारिज करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस परिस्थिति में प्रथम पक्ष श्री भुनेश्वर तिवारी एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित्त एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बरही, हजारीबाग।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बरही, हजारीबाग।